कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रतापगढ़।

पत्रांक 97 /कोष–प्रता0/निर्वाचन–2017 दिनांक : 11 जनवरी 2017

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–76/अनुदेश/ई.ई.पी.एस./2015/खण्ड–II दिनांक 29 मई, 2015 के प्रस्तर–16 के क्रम में जब्त नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज किये जाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है–

1.	अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण	–	अध्यक्ष
2.	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0डी0ए0	–	सदस्य
3.	मुख्य कोषाधिकारी	–	सदस्य

उक्त समिति, पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जॉच करेगी तथा जहॉ समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गयी है या जहॉ जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नकदी जब्त की गयी थी, को ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।

व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नकदी रिलीज करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख–रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरूद्ध/जब्त नकदी की राशि और सम्बन्धित व्यक्तियों को छोड़ दिये जाने की तारीख का विवरण होगा।

यदि रिलीज की गयी नकदी 10(दस) लाख रुपये से अधिक है, तो रिलीज किये जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी टीम या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा नकदी आदि की जब्ती के सभी मामले तत्काल जिले में गठित समिति के ध्यान में लाए जाएंगे और समिति ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगी। किसी भी परिस्थिति में, जब्त की गई नकदी/जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से सम्बन्धित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात् 7 (सात) दिनों से अनधिक समय के लिए तब तक लम्बित नहीं रखे जाएंगे जब तक कि कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गयी हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी/
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी/उप निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0एवं रा0)/नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल, प्रतापगढ़।
4. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0डी0ए0, प्रतापगढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी/प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा, प्रतापगढ़।
6. समस्त रिटर्निंग आफिसर को अनुपालनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से कि उक्त समिति के कार्यप्रणाली की प्रचार–प्रसार हेतु।
8. समस्त उड़न दस्ता दल को अनुपालनार्थ।
9. स्थैतिक निगरानी टीम को अनुपालनार्थ।

D. Singh 11/01/2017

जिला निर्वाचन अधिकारी/
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।